राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर
आयुष भवन सेक्टर–26 प्रताप नगर, जयपुर–302033

क्रमांकः–प.1(प्रति–2)/न.क.नियु./7/पार्ट II/2013/4761–68 दिनांक–5/6/18

आदेश

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णनन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविधालय जोधपुर के द्वारा कम्पाउण्डर नर्स जूनियर ग्रेड होम्योपैथिक की प्रेषित वरियता सूची के अनुसार राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 संशोधित नियम 2010 एवं संशोधित नियम 2013 के अन्तर्गत कम्पाउन्डर नर्स जूनियर ग्रेड के नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 2/2013 दिनांक 16.08.2013 के विरूद्ध निम्नांकित आशार्थियों को कम्पाउण्डर नर्स जूनियर ग्रेड के पद पर वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ 15(1)एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में पद की पे मेट्रिक्स लेवल–10 में नियमित पारिश्रमिक रूपये 23700/– प्रतिमाह दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में निम्न शर्तो पर नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

क.स.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथी	लिंग	संवर्ग	चयन संवर्ग	प्रभावी प्राप्तांक प्रतिशत
1.	मंजू नोगिया	मोहन लाल नोगिया	15.01.1990	महिला	परित्यक्ता महिला अनुसूचित जाति	अनारक्षित संवर्ग	60.83

उक्त पदस्थापन निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन जारी किये किये जा रहे हैः–

1. उक्त नियुक्तियां अंतिम विशेष अनुमति याचिका संख्या 28320/2017 राजस्थान राज्य बनाम यदुवेन्द्र शाडिल्य एवं समान प्रकृति की अन्य याचिकाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, एस.बी.सि.रिट याचिका सं. 1024/2016 सत्यप्रकाश व अन्य, याचिका सं. 4363/2016 विनोद कुमार शर्मा व अन्य, 1413/2016 प्रहलाद नारायण शर्मा व अन्य, 2609/2016 बनवारी लाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा एस.बी.सि.रि.याचिका संख्या 23426/2017 डालचन्द कुम्हार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में एवं कनिष्ठ नर्स/कम्पा. भर्ती के संबध में दायर अन्य याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगी ।
2. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानो के अनुसार देय होंगे । परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही पद की नियमित पे मेट्रिक्स के लेवल 10 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे ।
3. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथी उनके सैकण्ड्री/सीनियर हायर सैकण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्म तिथी निदेशालय द्वारा सत्यापित की जायेगी ।
4. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नही होगें । इस आशय का शपथ पत्र संबधित अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
5. उक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय गृह जिले के जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण, सेवा नियमों में उल्लेखित सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र, संतान संबधी शपथ पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, धुम्रपान संबधी वचन पत्र, दहेज संबधी शपथ पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र (दो पृथक–पृथक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी) कॉलेज द्वारा जारी चरित्र प्रमाण, समस्त शैक्षणिक दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत आवश्यक समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियां जो आवश्यक हो, कार्यग्रहण से पूर्व निदेशालय में जमा/सत्यापित करवानी होगी ।
6. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों में से किसी के भी फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगें साथ ही दोषी के विरूद्व न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी । अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि कोई

Scanned by CamScanner

भी प्रमाण पत्र दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा एवं वह आपराधिक दण्डिक कार्यवाही का भागीदार होगा ।

7. उक्त नियुक्ति संबधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन होगी ।

8. राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन किया जाना अनिवार्य किया गया है, अतः विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र कार्यग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करना होगा । परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत कराना होगा ।

9. विभागीय कर्मचारी/संविदा पर कार्यरत कर्मी अपने मूल पद से विधिवत कार्यमुक्त होकर नव पदस्थापन पर उपस्थिति देंगें ।

10. उक्त परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थियों को नियत पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा ।

11. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक(क–2)विभाग के परिपत्र संख्या प.15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2015 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगें ।

12. परिवीक्षा की समयावधि में कार्य सन्तोषप्रद नहीं पाये जाने पर राज्य सेवा/विभाग इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगा ।

13. उक्त समस्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के भीतर अपने दस्तावेज सत्यापन निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग से करवाने होगें । दस्तावेज सत्यापन नियमानुसार उचित पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करवाया जायेगा । इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

14. उक्त नियुक्त नर्स/कम्पा. के पदस्थापन स्थान सक्षम अनुमोदन उपरान्त अलग से जारी किये जायेगें ।

(कुन्दन कुमार माथुर)
निदेशक

क्रमांकः–प.1(प्रति–2)/न.क.नियु./7/पार्ट II/2013/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. कुलसचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविधालय जोधपुर ।
4. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान, जयपुर ।
5. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर ।
6. निदेशक, यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर ।
7. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट, निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग राज. जयपुर को दी जाकर लेख है कि उक्त संवर्गवार अनंतिम चयन सूची को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।
8. प्रभारी, विधि शाखा/कानूनी चिकित्सक–प्रथम, निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग राज. जयपुर।
9. संबधित अभ्यर्थी श्री..।

(डॉ. मनीषा सक्सैना)
कार्यालयाध्यक्ष

Scanned by CamScanner